परिवहन विभाग हरियाणा

नागरिक अधिकार प्रपत्र
हरियाणा राज्य परिवहन

कार्यालयः परिवहन आयुक्त, हरियाणा
30 बेज़ भवन सैक्टर–17 सी,
चण्डीगढ़

Tel. No. : 0172-2710371
E-mail : transport@hry.nic.in
Fax : 0172-2701451

<u>हरियाणा राज्य परिवहन</u>
<u>नागरिक अधिकार प्रपत्र</u>

पर्याप्त परिवहन व्यवस्था राज्य के चंहुमुखी विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। हरियाणा राज्य परिवहन जो कि एक विभागीय यात्री परिवहन संस्था है, राज्य के लोगों को पर्याप्त, सुव्यवस्थित, आरामदायक, सुरक्षित, सस्ती एवं कुशल बस सेवा प्रदान करने के लिये कृतसंकल्प है। हरियाणा राज्य परिवहन को गत वर्षों में कुशल परिचालन के आधार पर देश की सर्वोतम राज्य परिवहन संस्था माने जाने का गौरव प्राप्त है। यह जनता को और बेहतर बस सेवा तथा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये सदैव प्रयत्नशील है।

नवम्बर, 1966 में हरियाणा प्रदेश बनने के समय हरियाणा राज्य परिवहन को केवल 475 बसें मिली थी जो कि 3 मुख्य डिपो अम्बाला, गुडगांव व चण्डीगढ़ द्वारा लगभग 200 मार्गों पर चलाई जाती थी। यह बसें प्रतिदिन लगभग 1 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती थी और इनमें लगभग 1 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते थे। नवम्बर, 1972 से फरवरी, 1994 तक राज्य में यात्री परिवहन का पूर्ण राष्ट्रीयकरण था। अब हरियाणा राज्य परिवहन के पास लगभग 3500 बसें है जो कि 20 मुख्य डिपो व 17 उप डिपुओं से प्रतिदिन लगभग 11 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं तथा इनमें लगभग 11 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं।

1. <u>उद्देश्य</u>

हरियाणा परिवहन विभाग का उद्धेश्य राज्य की जनता को उचित दर पर कुशल, सुव्यवस्थित, सुरक्षित और आरामदायक यात्री परिवहन सेवा उपलब्ध करवाना है।

<u>हरियाणा राज्य परिवहन से नागरिकों को प्राप्त अन्य अधिकारों के साथ–2 निम्नलिखित अधिकार भी प्राप्त हैं :–</u>

1. सुरक्षित व आरामदायक यात्रा करने का अधिकार।

2. परिवहन के अमले से शिष्टाचार व विन्रमता का व्यवहार।

3. निश्चित स्थानों से बस सेवा लेना तथा छोड़ना।

4. किराये के लिये दी गई राशि के बराबर टिकट प्राप्त करना।

5. हरियाणा राज्य परिवहन, की बसों से यह भी आशा रखना, कि हरियाणा राज्य परिवहन, की बसें पैदल यात्रियों व अन्य यातायात के साधनों को भी मार्ग पर उचित सम्मान देंगी।

6. यात्री का यह भी अधिकार है कि उसकी शिकायतों को उचित स्तर पर सुनते हुये उन पर उचित कार्यवाही की जाये तथा इसी प्रकार की कार्यवाही यात्रियों द्वारा दिये गये सुझावों पर भी की जाये।

2. परिचालन क्षेत्र

हरियाणा राज्य परिवहन, राज्य के सभी शहरों, कस्बों तथा गांवों के लोगों को राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिये तथा राज्य के मुख्य शहरों को पडौसी राज्यों के मुख्य शहरों से मिलाने के लिये सुव्यवस्थित यथा सम्भव बस सेवायें प्रदान करने हेतु कृतसंकल्प है। हरियाणा राज्य परिवहन की बसें राज्य के कोने – 2 में बस सेवायें उपलब्ध करवा रही है। हरियाणा राज्य परिवहन चण्डीगढ़–दिल्ली, चण्डीगढ़–शिमला व चण्डीगढ़–जयपुर मार्गों पर डिलैक्स बस सेवा भी उपलब्ध करवा रहा है। गुड़गांवा में लोकल मार्गों पर 15 लो–फलोर, ए0सी0, सी0एन0जी0 बसें शहरी विकास प्राधिकरण हरियाणा की सहायता से चलानें का कार्यक्रम है, जिनमें से 5 बसों का परिचालन शुरू किया जा चुका है। राज्य के सभी शहरों व गांवों को जहां पर सड़के उपलब्ध हैं बस सेवायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कुछ मार्गों पर निजि क्षेत्र की बस सेवायें चलाने के लिये प्राईवेट आपरेटरों को परमिट दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा के पड़ोसी राज्यों के साथ हुये परिवहन समझौतों के अनुसार इन राज्यों के मुख्य स्थानों को हरियाणा के विभिन्न स्थानों से जोड़ने के लिये भी हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा बस सेवायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पड़ौसी राज्यों के विभिन्न स्थानों जैसा कि पंजाब में भटिंडा, लुधियाना, जालन्धर, कपूरथला, पटियाला, फिरोजपुर, नाभा, राजपुरा, अमृतसर और

पठानकोट इत्यादि, हिमाचल में शिमला, रामपुर, कुल्लु, सुन्दरनगर, बैजनाथ, कांगड़ा, ज्वालाजी, चिंतपूर्णी इत्यादि, राजस्थान में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, सीकर, गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, कर्णपुर, कोटा, राजगढ़, अलवर और भिवाड़ी इत्यादि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बरेली, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और गाजियाबाद इत्यादि, उत्तरांचल में हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, कोटद्वार और ऋषिकेश इत्यादि, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, जम्मू काश्मीर में जम्मू व कटड़ा तथा चण्डीगढ़ व दिल्ली के लिये हरियाणा राज्य परिवहन की बस सेवायें चलाई जा रही हैं।

3. नई बस सेवाये :–

क) हरियाणा गौरव बस सेवायें :– हरियाणा गौरव के नाम से एक नई बस सेवा शुरू की गई है जिसमें आधुनिकतम सेवायें प्रदान की जा रही हैं। जैसाकि आरामदायक आगे पीछे सरकने वाली सीटें, एफ0एम0 रेडियों, मोबाईल चार्जर, स्वचालित दरवाज़े, टिन्टिड ग्लास व पर्दो की सुविधा। यह बस सेवा राज्य के मुख्य मार्गों पर चलाई जा रही है तथा इनका किराया साधारण बस किराये से थोड़ा सा अधिक है।

ग) हरियाणा उदय सी0एन0जी0 बस सेवा :– पर्यावरण सन्तुलन को बनाये रखने के लिये हरियाणा राज्य परिवहन की नई सी.एन.जी. बस सेवा **'हरियाणा उदय'** शुरू की गई है जिसके तहत सी0एन0जी0 बसों का परिचालन हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न शहरों (जैसाकि गुड़गावा, फरीदाबाद, सोनीपत तथा बहादुरगढ़) से दिल्ली के आन्तरिक हिस्सों तक किया जायेगा। वर्ष 2006–07 में हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा ऐसी 80 सी0एन0जी0 बसें खरीदी गई। आने वाले वर्षों में ऐसी और बसें चलाने का कार्यक्रम है।

घ) लो–फ्लोर वातानूकूलित/ सी0एन0जी0 बस सेवा :– गुड़गांवा में बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिये लो–फ्लोर वातानूकूलित/ सी0एन0जी0 बस सेवा का दिनांक 23.12.07 से गुड़गांवा व गुड़गांवा तथा देहली के मध्य सी0टी0 बस सेवा के तौर पर चलाया गया है। ऐसी 15 बसें चलाने का प्रस्ताव है। पहले चरण में पांच बसों का परिचालन दिनांक 23.12.07 को शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त सैमी–लो–फ्लोर

साधारण बसें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तथा राज्य के अन्य केन्द्रों से जोड़ने के लिये चलाया जाना प्रस्तावित है।

4. हरियाणा राज्य परिवहन के बस स्टैण्ड

हरियाणा राज्य परिवहन राज्य के लोगों को यातायात की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर आवश्यक यात्रा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त, साफ–सुथरे तथा सभी सुविधाओं से युक्त बस स्टैण्ड तथा छोटे बस स्टापों पर बस क्यू शैल्टर उपलब्ध कराने हेतु कृतसकंल्प है। विभाग द्वारा राज्य में यातायात की दृष्टि से 90 महत्वपूर्ण स्थानों पर बस स्टैण्डों का निर्माण किया गया है जहां पर यात्रियों की सुविधा के लिये सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं। इन 90 बस स्टैण्डो के नाम, पूछताछ, टेलीफोन नं0 और इन बस स्टैण्डों से जिन–2 मुख्य स्थानों के लिये बस सेवायें उपलब्ध हैं उनका विवरण अनुबन्ध 'क'–'ख' पर दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त छोटे बस स्टापों पर बस क्यू शैल्टर उपलब्ध करवाये गये हैं। कुछ अन्य स्थानों पर बस स्टैण्डों/क्यू शैल्टर उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही चल रही है।

4.1 मुख्य बस स्टैण्डों पर उपलब्ध सुविधायें:–

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि हरियाणा राज्य परिवहन, यात्रियों को बस स्टैण्डो पर सभी आवश्यक सुविधायें, जैसे कि पूछताछ केन्द्र, अग्रिम बुकिंग, बसों की समय सारणी, स्त्री तथा पुरूष शौचालय, लाईटें, पंखों व बैठने की व्यवस्था से युक्त–प्रतिक्षालय, साफ पीने के पानी की व्यवस्था, आवश्यक खाने पीने की वस्तुओं की उचित दरों की दुकानें, साईकल/स्कूटर स्टैण्ड इत्यादि उपलब्ध करवाने के लिये कृतसंकल्प है। इस समय बस स्टैण्डों पर आवश्यकता अनुसार निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं:–

(क) बस स्टैण्डों पर रैन बसेरे की सुविधा :– अम्बाला कैंट व कालका बस स्टैण्डों पर यात्रियों के आराम के लिये रैन बसेरा की सुविधा प्रदान की गई है।

(ख) **<u>अग्रिम बुकिंग व आरक्षण की सुविधा</u>** :– हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा मुख्य बस स्टैंण्डों पर कुछ महत्वपूर्ण मार्गों के लिये अग्रिम बुकिंग व आरक्षण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

(ग) **<u>पीने के पानी की व्यवस्था :–</u>** मुख्य बस स्टैण्डों पर पीने के पानी के लिये वाटर कूलर्स व वाटर फिल्टर लगाये गये हैं तथा पीने के पानी को स्टोर करने का भी उचित प्रबन्ध किया गया है।

(घ) **<u>शौचालयों का प्रबन्धः</u>**– प्रत्येक बस स्टैण्ड पर महिलाओं व पुरूषों के लिये अलग–2 साफ सुथरे शौचालयों का प्रबन्ध किया गया है। इन शौचालयों की सफाई व रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिये अधिकतर डिपुओं में शौचालयों का ठेका ख्याती प्राप्त संस्थाओं को दिया गया है जोकि यात्रियों से शौचालय के प्रयोग के लिये नाममात्र शुल्क ले रही है।

(ड.) **<u>प्रतिक्षालय का प्रबन्ध :–</u>** प्रत्येक मुख्य बस स्टैण्ड पर यात्रियों की सुविधा के लिये साफ–सुथरा प्रतिक्षालय कक्ष उपलब्ध कराया गया है जिसमें बिजली पंखों व बैठने की व्यवस्था का उचित प्रबन्ध किया गया है।

(च) **<u>दुकानों का प्रबंध :–</u>** हरियाणा राज्य परिवहन के प्रत्येक बस स्टैण्ड पर यात्रियों की सुविधा के लिये आवश्यक वस्तुओं की दुकानों का प्रबंध किया गया है। इन दुकानों पर बेची जाने वाली चीजों के दाम सम्बन्धित महाप्रबन्धक के तहत अधिकारियों की एक कमेटी द्वारा क्वालिटी के हिसाब से निर्धारित किये जाते हैं तथा उन की सूची दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर दर्शायी जाती है।

हरियाणा राज्य परिवहन के सभी बस स्टैण्डों पर बीड़ी, सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों के बेचने पर प्रतिबन्ध है।

(छ) **<u>साइकिल/स्कूटर स्टैण्ड :–</u>** हरियाणा राज्य परिवहन के मुख्य बस स्टैण्डों पर यात्रियों की सुविधा के लिये साइकिल/स्कूटर स्टैण्ड का प्रबंध किया गया है जहां पर यात्री उचित शुल्क देकर अपना स्कूटर/साइकिल खड़ी कर सकते हैं।

(ज) **<u>बसों की समय सारणी :–</u>** हरियाणा राज्य परिवहन के बस स्टैण्डों पर यात्रियों की सुविधा के लिये हरियाणा राज्य परिवहन की बसों की समय सारणी के साथ–2

निजि परिवहन समितियों द्वारा चलाई जा रही बसों की समय सारणी भी दर्शायी जाती है।

(झ) शिकायत /सुझाव पुस्तिका :– हरियाणा राज्य परिवहन के प्रत्येक बस स्टैण्ड पर यात्रियों की सुविधा के लिये एक शिकायत पुस्तिका उपलब्ध करवाई गई है जिसमें कोई भी यात्री अपनी शिकायत अथवा सुझाव दर्ज कर सकता है।

5. बस स्टैण्डों का रख–रखाव :–

वर्ष 2005–06 व 2006–07 में बस स्टैण्डों की मुरम्मत व रख–रखाव के लिये प्रति वर्ष 10 करोड़ रूपये का खर्च नान–प्लान बजट में पहली बार किया गया।

6. कर्मशालायें

लोगों को अच्छी बस सेवा उपलब्ध कराने के लिये आधुनिक मशीनरी/सुविधायों व कुशल कारीगरों से युक्त कर्मशालाओं का होना अति आवश्यक है जिसके लिये राज्य परिवहन कृतसंकल्प है ताकि कुशल व ब्रेक डाऊन रहित बस सेवा प्रदान की जा सके। राज्य परिवहन द्वारा बसों के उत्तम रख–रखाव व सफाई के लिये आधुनिक कर्मशालायें स्थापित की गई हैं, जहां पर सभी आवश्यक मशीनरी व कलपुर्जे उपलब्ध करवाये गये हैं।

हरियाणा राज्य परिवहन के कुल 20 डिपो है जिनमें से 10 डिपुओं में टाटा बसें हैं और बाकी 10 डिपो में लेलैण्ड बसें हैं। सभी डिपुओं में बसों की पूर्णतया मुरम्मत व रख–रखाव के लिये बड़ी कर्मशालायें हैं तथा 17 उप डिपों में दिन प्रतिदिन की छोटी मोटी मुरम्मत व सफाई के लिये छोटी कर्मशालायें हैं। इसके अतिरिक्त हिसार व करनाल में 2 केन्द्रीय कर्मशालायें भी स्थापित की गई हैं, जिनमें इंजन व दूसरी मुख्य असैम्बलीज की ओवरहांलिंग तथा टायर रिट्रेडिंग इत्यादि का कार्य किया जाता है। टाटा डिपुओं के लिये केन्द्रीय कर्मशाला करनाल में तथा लेलैण्ड डिपुओं के लिये हिसार में स्थापित की गई है।

विभाग द्वारा पहले से चलाई जा रही योजनाओं के तहत सभी कर्मशालाओं में आधुनिक मशीनरी उपलब्ध करवाई जाती है जैसे कि सभी बड़ी कर्मशालाओं में बस धोने की स्वचालित मशीनें, प्रद्रूषण चैक करने की मशीनें आदि।

7. हरियाणा रोडवेज़ इन्जीनियरिंग कारपोरेशन

राज्य परिवहन लोगों को आधुनिक तकनीक से बनी सुरक्षित व आरामदायक बसें उपलब्ध कराने हेतू कृतसकंल्प है। हरियाणा राज्य परिवहन की बसों पर बॉडी बनाने के लिये गुडगांव में हरियाणा रोडवेज़ इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के तहत एक आधुनिक कर्मशाला स्थापित की गई है। इस कर्मशाला द्वारा हाल ही में बसों के डिजाईन में सुधार करके उन्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, सुरक्षित, आरामदायक तथा आकर्षक बनाया गया है। इन बसों में प्री–फेबरीकेटिड आरामदायक सीटें लगाई गई हैं तथा उनमें बेहतर लेग सपेसिंग रखी गई है। पुरानी बसों की बॉड़ी की बड़ी मुरम्मत इत्यादि का कार्य भी इस कर्मशाला में किया जाता है। इस कर्मशाला द्वारा बनाई गई बसें निजि क्षेत्र की कम्पनियों की अपेक्षा काफी कम लागत से तैयार की जा रही हैं। एच.आर.ई.सी. की स्थापना के समय हरियाणा राज्य ने दो करोड़ रूपये की अंशपूंजी लगाई थी। वर्ष 2005–06 में इस कर्मशाला के आधुनिकीकरण के लिये अंशपूंजी को बढ़ाकर 4 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2006–07 में 5 करोड़ रूपये तक कर दिया गया। वर्ष 2007–08 में भी इस योजना के अर्न्तगत एक करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

8. चालक प्रशिक्षण केन्द्र

विभाग द्वारा नये भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण उपरान्त प्रमाणित करने हेतू निम्नलिखित 6 स्थानों पर चालक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं :–

1. चालक प्रशिक्षण संस्थान, मुरथल
2. केन्द्रीय कर्मशाला हिसार
3. केन्द्रीय कर्मशाला करनाल
4. हरि0 राज्य परिवहन कर्मशाला गुडगांव
5. हरि0 राज्य परिवहन कर्मशाला रोहतक
6. चालक प्रशिक्षण स्कूल महेन्द्रगढ़

इन केन्द्रो पर नये भारी वाहन चालकों व स्कूल बसों के चालकों/परिचालकों को प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित जानकारी अनुबन्ध 'ग' पर देख ली जाये।

चालक प्रशिक्षण संस्थान मुरथल में निम्नलिखित प्रशिक्षण दिये जाते है :–

1. हरियाणा राज्य परिवहन के चालकों को रिफ्रेशर कोर्स ।
2. हरियाणा राज्य परिवहन के परिचालकों को रिफ्रेशर कोर्स ।
3. हरियाणा राज्य परिवहन के नये नियुक्त वाहन चालकों को बेसिक प्रशिक्षण ।
4. नये भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण व रिफ्रेशर प्रशिक्षण।
5. Hazardous Goods Vehicle के चालकों के लिये प्रशिक्षण।
6. स्कूल बस चालकों व परिचालकों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण आदि।

9. हरियाणा राज्य में बस किराया

हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा मुख्यतः साधारण बस सेवायें सभी डिपुओं द्वारा चलाई जा रही हैं। मुख्य शहरों मे लोकल बस सेवायें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। चण्डीगढ़ व दिल्ली डिपुओं के महत्वपूर्ण मार्गों पर डीलक्स व सेमी डिलक्स बसें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सेमी डीलक्स बस का किराया सामान्य किराये से 50 प्रतिशत अधिक होता है तथा डीलक्स बस का किराया सामान्य किराये से दो गुना होता है।

हरियाणा राज्य में यात्री कर मूल किराये का 60 प्रतिशत के बराबर था जिसे 1.4.2007 से (कुल किराये में कोई परिर्वतन किये बिना) घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। हरियाणा में बस किराया जो 1.4.2006 से सरकार की अधिसूचना क्रमांक 22/76/2003–2 परि0 (II) दिनांक 31.3.2006 द्वारा निर्धारित किया गया है, वह निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क0 सं0	सेवा की किस्म	कुल किराया (पैसे/प्रति यात्री/प्रति कि.मी.। (25 प्रतिशत यात्री कर सहित)	व्यक्तिगत सामान का भाडा (प्रति–कि0मी0 प्रति 40 कि0ग्रा0 के लिये आधा किराया)
1.	सामान्य बस किराया	50.00	(प्रति–कि0मी0 प्रति 40 कि0ग्रा0 के लिये आधा किराया)
2.	एक्सप्रैस बसों के लिये	62.50	–सम–
3.	सेमी डीलक्स बस किराया	75.00	–सम–
4.	डीलक्स बस किराया	100.00	–सम
5.	वातानुकूलित बस किराया	175.00	–सम–

नोट–1 यात्री कर सम्मलित करने के पश्चात कम से कम किराया 2 रूपये चार्ज किया जायेगा।

2 मार्गों के विभिन्न प्रक्रमों के लिये (यात्री कर सम्मिलित करने के पश्चात) संगणित किराये को अगले एक रूपये तक पूरा कर दिया जायेगा।

3 आधे किलोमीटर से कम के भाग को नहीं गिना जायेगा।

4 <u>दिनांक 11.12.2002 से प्रभावित टोल टैक्स की वसूली</u>

हरियाणा सरकार की अधिसूचना 13/44/2002–6 टी (II) दिनांक 4.12.2002 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 1,2 व 8 के यात्रियों से यह वसूली निम्न तालिका अनुसार की जाती है।

16 से 25 कि.मी.	1 रूपया ,	26 से 75 कि.मी.	2 रूपया
76 से 125 कि.मी.	3 रूपया ,	126 से 175 कि.मी.	4 रूपया
176 और इससे अधिक	5 रूपया		

उपरोक्त दर के अनुसार ही हरियाणा राज्य में विभिन्न राज्जीय राजमार्गों पर (जिन पर सरकार द्वारा टोल टैक्स लगा दिया गया है) , टोल टैक्स चार्ज किया जा रहा है।

5. तीन साल तक की आयु के बच्चे से कोई किराया नहीं लिया जाता। तीन साल से 12 साल तक के बच्चे से आधा किराया लिया जाता है।

10. <u>स्पेशल बुकिंग/अनुबन्ध पर बसें उपलब्ध करवाना</u>

हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा शादियों, पर्यटक व धार्मिक स्थलों तथा एलटीसी आदि पर एक ग्रुप में जाने के लिये अनुबन्ध पर बसें उपलब्ध कराई जाती हैं। अनुबन्ध पर बसें उपलब्ध करवाने के लिये हरियाणा राज्य परिवहन के सम्बन्धित महाप्रबन्धक से सम्पर्क किया जा सकता है।

11. <u>मुफ्त/रियायती यात्रा सुविधा</u>

हरियाणा राज्य परिवहन एक सामाजिक दायित्व निभाते हुये विभिन्न वर्ग के लोगों को मुफ्त/रियायती बस यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाता है।

<u>मुफ्त यात्रा सुविधा</u> :– हरियाणा राज्य परिवहन ने निम्नलिखित श्रेणियों के यात्रियों को अपनी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की हुई है।

क. संसद एवं विधान सभा के सदस्य व भूतपूर्व सदस्य।

भूतपूर्व विधायकों को पहचान –पत्र सचिव, हरियाणा विधान सभा द्वारा जारी किया गया होना चाहिये। इन पहचान पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर सम्बन्धित महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा किये होने चाहिये।

ख. विधान सभा सदस्य को एक मुफ्त पास हरियाणा, यूटी. चण्डीगढ़ तथा देहली आने–जाने के लिये पैप्सू पथ परिवहन की बसों में यात्रा के लिये भी दिया जाता है

ग. 100 प्रतिशत अन्धे व्यक्ति।

घ. 100 प्रतिशत शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्ति को एक सहायक सहित केवल हरियाणा क्षेत्र में।

ड. क्रिपल्ड / शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों को एक सहायक सहित अपने घर से साकेत हस्पताल, पंचकुला, में इलाज हेतू आने जाने के लिये।

शारीरिक तौर पर अपंग व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा सुविधा के लिये सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा।

नेत्रहीन व्यक्तियों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा के लिये सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इस प्रमाण पत्र पर उपायुक्त की मोहर लगी होना आवश्यक है।

च. मान्यता प्राप्त पत्रकारों को एक वर्ष में 4000 कि.मी. तक मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

मान्यता प्राप्त पत्रकार को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा के लिये महाप्रबन्धक हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा जारी बस पास दिखाना होगा।

छ. हरियाणा के बेरोजगार युवकों को रोज़गार के लिये अपने घर से साक्षात्कार के स्थान तक हरियाणा राज्य, दिल्ली व चण्डीगढ़ आने जाने की मुफ्त यात्रा सुविधा।
यह सुविधा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा हरियाणा राज्य में स्थित विभिन्न रोजगार कार्यालयों व बोर्ड निगमों में हरियाणा राज्य के बेरोजगार युवाओं को साक्षात्कार हेतु दी जाती है।

ज. चण्डीगढ़ तथा जालन्धर के समाचार पत्रों में कार्यरत 285 डैस्क जर्नलिस्टों व प्रैस शाखा में कार्यरत 30 कर्मचारियों को प्रति वर्ष 2500 कि.मी. तक निशुल्क यात्रा सुविधा।

झ. हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों को अपनी पत्नी या एक सहायक सहित हरियाणा, चण्डीगढ़ तथा दिल्ली में मुफ्त यात्रा सुविधा। यह सुविधा हरियाणा राज्य

परिवहन की डीलक्स बसों में भी उपलब्ध है। स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवायें भी इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं।

ड. थेलेसेमिया बीमारी से ग्रस्त बच्चों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा।

ट. युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों को पैंशन लेने हेतु बसों में आने जाने के लिये मास में दो मुफ्त पास दिये जाते है।

ठ. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कलाकार (पंडित तुले रामजी, उसताद झुमन खां, कमल तिवारी व उसताद मामन खां)

ड अर्जुन अवार्ड विजेता, ओलम्पिक व राज्य पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को मुफ्त यात्रा सुविधा।

ण. महिलाओं को रक्षा बन्धन के दिन 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों सहित हरियाणा राज्य परिवहन की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा।

त. राष्ट्रीय केडिट कोर के कैडिटस को प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेने के लिये यात्रा के समय आम किराये में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी।

थ. मानसिक. तौर पर विक्षिप्त व्यक्तियों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा।

रियायती यात्रा सुविधा

क. **विद्यार्थी पास** :–हरियाणा राज्य परिवहन मान्यता प्राप्त स्कूल/कालेज तथा ऐसे स्कूल/कालेज व अन्य संस्थायें, जो राज्य में किसी विश्व विद्यालय से जुड़े हो के विद्यार्थियों को अपनी सामान्य बसों में 60 किलोमीटर तक यात्रा करने के लिये त्रैमासिक पास जारी करती है। उन्हें उनके घर से शिक्षा संस्थान (हरियाणा क्षेत्र) तक आने–जाने के लिये हिदायतें क्रमांक 1642–61/ए2/एसीसी दिनांक 5.4.2007 के अनुसार निम्नलिखित दर से किराया देना पड़ता है।

दूरी कि0मी0 में	प्रति मास पास की दर (1.4.07 से लागू) रूपये
1 से 5	20.00
6 से 10	40.00
11 से 15	60.00
16 से 20	80.00
21 से 25	100.00
26 से 30	120.00
31 से 40	160.00
41 से 50	200.00
51 से 60	240.00

नोट :— **<u>महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिये पढ़ने वाली लड़कियों को मासिक बस पास सुविधा में दिनांक 31.1.2006 से 50 प्रतिशत की और छूट दी गई है। अब उन्हें मासिक बस पास के लिये केवल 5 एक तरफा किराये देने पड़ेंगे।</u>**

इसके अतिरिक्त चण्डीगढ़ व देहली जाने वाले विद्यार्थी से एक माह के लिये केवल 10 एक तरफा किराया लिया जाता है।(पत्र क्रमांक 524—41/सीएआई0 दिनांक 27.1.92) यह पास रविवार के दिन मान्य नहीं होता।

ख. **<u>सरकारी कर्मचारी</u>** :—सरकारी कर्मचारियों से एक मास में 35 एक तरफा किराया लेकर हरियाणा राज्य परिवहन की सामान्य बसों में यात्रा के लिये मासिक पास प्रदान किया जाता है।

ग. हरियाणा पुलिस के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के निरीक्षक तक कार्यरत कर्मचारियों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करवाई जा रही है। इसके लिये इनके वेतन से 80/—रूपये प्रतिमाह की कटौती की जाती है।

घ. **राज्य स्तरीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़िओं को बस किराये में 75 प्रतिशत तक की रियायत उपलब्ध कराई जा रही है :—** यह सुविधा निॅम्नलिखित स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रदान की जा रही है।

(i) हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये विभिन्न खेलों में करवाई गई राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगितायें।

(ii) राज्य स्तरीय खेल संस्थायें जो हरियाणा ओलम्पिक एशोसियेशन से सम्बन्धित हैं, द्वारा विभिन्न खेलों में करवाई गई राज्य स्तरीय प्रतियोगितायें।

(iii) खेल विभाग या हरियाणा ओलम्पिक एशोसियेशन द्वारा विभिन्न अवसरों पर करवाई गई राज्य खेल प्रतियोगितायें।

1. राज्य स्तरीय खेल उत्सव
2. राज्य स्तरीय महिला खेल उत्सव
3. राज्य स्तरीय पंचायत प्रतियोगितायें
4. राज्य स्तरीय युवा उत्सव

(iv) हरियाणा में आयोजित की गई राष्ट्रीय स्तर की ग्रामीण खेल प्रतियोगितायें — हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगितायें जो कि राज्य स्तर की खेल संस्थाओं द्वारा आयोजित की जायें तथा हरियाणा ओलम्पिक संघ से एफिलियेटिड हों।

या

खेल विभाग हरियाणा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगितायें।

12. <u>बसों की साफ–सफाई</u>

हरियाणा राज्य परिवहन का भरसक प्रयत्न है कि यात्रियों को साफ सुथरी बस सेवायें उपलब्ध करवाई जाये। इसके लिये हरियाणा राज्य परिवहन के सभी 20 डिपुओं में बस धुलाई की स्वचालित मशीनें उपलब्ध करवाई गई है।

13.<u>डीलक्स बस सेवाओं की समय सारणी</u>

डीलक्स व सेमी डीलक्स बसों की समय सारणी अनुबन्ध 'घ' पर दी गई है। इसमें समय–2 पर बदलाव किया जा सकता है। सभी बसों की समय सारणी बस स्टैण्डो पर उपलब्ध करवाई जाती है। हरियाणा राज्य परिवहन, चण्डीगढ़–दिल्ली, चण्डीगढ़–जयपुर व चण्डीगढ़–शिमला मार्गों पर सैमी डीलक्स बसों का संचालन कर रहा है।

14. <u>कम्पयूटराईजेशन</u>

हरियाणा राज्य परिवहन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य–कलापों का कम्पयूट्रीकरण किया जा रहा है। राज्य की नई सूचना प्रोद्यौगिकी नीति के अनुसार सभी स्तरों पर कार्य कलापों को पूर्णतयः कम्पयूट्ररीकृत करने का निर्णय लिया गया है। नई नीति के तहत हरियाणा राज्य परिवहन के सभी डिपुओं के विभिन्न कार्य कलापों का ऑन लाईन कम्पयूट्ररीकरण व विभिन्न कार्यालयों को कम्पयूटर के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव है। लोगों को आवश्यक जानकारी देने के लिये राज्य परिवहन द्वारा इंटरनेट पर अपनी वैब साईट भी लांच की हुई है। (https:// www.hartrans.gov.in)

15. <u>सुरक्षा उपाय</u>

हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा मुख्य मार्गों पर यातायात को आधुनिक ढंग से प्रबन्धित करने के विचार से निम्नलिखित अभियान चलाये जा रहे हैः–

1. चालकों को समय–2 पर रिफ्रेशर कोर्स के लिये भेजना।
2. चालकों का समय–2 पर मैडीकल व आंखों का टैस्ट किया जाना।
3. चालकों को साप्ताहिक रैस्ट दिया जाना।

4. बसों का वर्कशाप में उचित रख'–रखाव करना तथा सुनिश्चित करना कि बसों को सड़क पर भेजने से पहले जॉब कार्ड में दिखाई गई त्रुटियों को दूर कर दिया गया है, तथा यह भी सुनिश्चित करना कि मार्ग पर जाने से पहले बस पूर्णतया फिट है और बस में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धी उपकरण ठीक प्रकार से कार्य कर रहे है।
5. एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रातः काल कर्मशाला से बस की आऊटशैडिंग के समय निरीक्षण किया जाता है।
6. चालकों को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी देने के लिये समय–2 पर खुले दरबार लगाये जाते है।
7. लापरवाही से बस चलाने की शिकायत मिलने पर दोषी चालक के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाती है।
8. बसों का तीसरी पार्टी इन्शोरेंस किया जाता है।
9. अनाधिकृत ढाबों पर बसों को रोकने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

उपरोक्त उपायों द्वारा हरियाणा राज्य परिवहन में पिछले कुछ सालों से सड़क दुर्घटनाओ में कमी आई है। दुर्घटनाओं की दर 0.08 प्रति एक लाख किलोमीटर रह गई है, जो कि देश की अन्य राज्य परिवहन संस्थाओं की औसत दर से लगभग आधी है। इसे और कम करने के लिये सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

16. <u>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू करने बारेः–</u>

हरियाणा राज्य परिवहन में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू करते हुए आम जनता द्वारा मांगी गई सूचना उपरोक्त अधिनियम की शर्तों के अनुसार उपलब्ध करवाने के लिये विभाग ने निम्नलिखित अधिकारियों को राज्य जनसूचना अधिकारी, राज्य सहायक जनसूचना अधिकारी व अपील अधिकारी नियुक्त किया है ैः–

क) **राज्य लोक सूचना अधिकारी** :– उप परिवहन नियंत्रक (यो0 एवं वि0) मुख्यालयः–
दूरभाष नं0 0172–2701451

ख) **राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी** :– संख्याकीय अधिकारी मुख्यालय :–
दूरभाष नं0 0172–2701451

ग) **प्रथम अपील अधिकारी** :– अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (कामर्स) मुख्यालय :–
दूरभाष नं0 0172–2701164

इसके अतिरिक्त डिपो स्तर पर भी निम्नलिखित अधिकारियों को जनसूचना अधिकारी व सहायक जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया है।

क) लोक सूचना अधिकारी :– प्रत्येक डिपो का महा प्रबन्धक

ख) सहायक लोक सूचना अधिकारी :– प्रत्येक डिपो का यातायात प्रबन्धक

ग) लोक सूचना अधिकारी :–उड़न दस्ता अधिकारी, अर्न्तराज्जीय बस अड्डा दिल्ली

इन सभी डिपो स्तर के अधिकारियों के दूरभाष नं0 अनुबन्ध 'ड़' में दिये गये हैं।

17. <u>शिकायत एवं सुझावः–</u>

हरियाणा राज्य परिवहन, यात्रियों से प्राप्त शिकायतों व सुझावों पर तुरन्त कार्यवाही तथा इन शिकायतों को जल्द से जल्द निपटानें हेतु प्रयासरत रहता है। यह शिकायत कई प्रकार की हो सकती हैं जैसे कि परिचालक द्वारा किराया लेकर टिकट जारी न करना, बेची गई टिकटों का पुनः प्रयोग करना, बसों को अनाधिकृत स्थानों/ढाबों पर खड़ा करना, बस में डयूटी पर तैनात अमले का यात्रियों के साथ मधुर व्यवहार न रहना, तीव्र गति से बस चलाना और शराब के नशे में बस चलाना आदि। इन सभी शिकायतों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से यात्रियों को भी अवगत करवाने के प्रयास किये जाते है। <u>यात्री कृपया शिकायत करते समय डिपू का नाम, बस का रजिस्ट्रेशन नं0, रूट, तिथि, समय, स्थान व टिकट नम्बर इत्यादि अवश्य लिखें</u>।

सभी बस स्टैण्डो पर स्टैण्ड पर्यवेक्षक के पास शिकायत पुस्तिका रखी जाती है तथा प्रत्येक बस स्टैण्ड पर शिकायत पेटी भी रखी जाती है। जिसमें यात्री अपनी शिकायत या सुझाव डाल सकता है।

यात्री सम्बन्धित अधिकारियों को दूरभाष पर तथा डाक द्वारा लिखित रूप में भी शिकायत भेज सकता हैं। सम्बन्धित अधिकारियों के दूरभाष नं0 अनुबन्ध 'च' पर दिये गये हैं।

<u>आप हमें किस प्रकार से सहयोग दे सकते हैं–</u>

1. हरियाणा राज्य परिवहन की बसें व बस स्टैण्ड जनता की सम्पति हैं तथा इनका सरक्षंण करना व साफ सुथरा रखना हम सबका कर्तव्य है।
2. यात्रा हेतू टिकट खरीदें और यात्रा समाप्ति पर इसे परिचालक को वापिस न करें।

3. परिचालक द्वारा आपसे लिये गये पैसे के बराबर ही टिकट लें तथा निरीक्षण के समय निरीक्षक को टिकट अवश्य दिखायें।
4. बसों में नशीलें पद्धार्थों का सेवन करके यात्रा न करें।
5. बसों में व बस स्टैण्ड़ों पर धूम्रपान न करें।
6. बसों के अन्दर ज्वलनशील पदार्थ (गैस सिलेण्डर व केरोसीन ऑयल आदि) को न ले जायें।
7. बसों को अनाधिकृत स्थानों पर रोकने के लिये चालक को विवश न करें।
8. बस चलाते समय चालक से बातचीत करके उसका ध्यान भंग न करें।
9. बस में यात्रा करते समय शरीर का कोई भी अंग बाहर न निकालें।
10. बस रूकने पर ही बस में चढ़े या उतरे।
11. चालक को तेज गति से बस चलाने के लिये न कहें।

यदि हरियाणा राज्य परिवहन की कार्य कुशलता में सुधार लाने हेतू आपके पास कोई सुझाव है, तो विभाग सर्वदा उनका स्वागत करता है। आपके सुझाव निम्न पते पर सहर्ष स्वीकार्य हैं।

हरियाणा राज्य परिवहन के सभी महाप्रबन्धक या मुख्यालय में

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (वाणिज्य)
कार्यालय परिवहन आयुक्त, हरियाणा
चण्डीगढ़ (30 बेज भवन, सैक्टर–17 सी, चण्डीगढ़)
दूरभाष नं0 0172–2701164 फैक्स नं0 0172–2701451
transport @hry.nic.in
महा प्रबन्धकों के दूरभाष नम्बर अनुबन्ध 'ड़' पर दिये गये हैं।

अनुबन्ध 'क'

हरियाणा राज्य परिवहन के बस स्टैण्डों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	बस स्टैण्ड का नाम	बस स्टैण्ड के बेज	दूरभाष नं0 (पूछताछ)	क्र. सं.	जिले का नाम	बस स्टैण्ड का नाम	बस स्टैण्ड के बेज	दूरभाष नं0 (पूछताछ)
1.	अम्बाला	1. अम्बाला कैन्ट	18	2640821	10	करनाल	45. करनाल	14	2251158
		2. अम्बाला शहर	6	2556388			46. घरोंडा	ए टाईप	–
		3. बराड़ा	3	–			47. इन्द्री	3	–
		4. दो सड़का	ए टाईप	–			48. नीलोखेड़ी	ए टाईप	–
		5. नारायणगढ़	6	284038			49. तरावड़ी	ए टाईप	–
		6. साहा	ए टाईप	–			50. असन्ध	3	–
2.	भिवानी	7. भिवानी	18	242230	11.	कुरूक्षेत्र	51. कुरूक्षेत्र 52. कौल	6 2	220468
		8. च0दादरी	6	221338			53. पेहवा	6	220102
		9. बवानी खेड़ा	3	–			54. पिपली	3	231752
		10. सिवानी	3	–			55. लाडवा	6	–
		11. तोशाम	3	258256			56. शाहबाद	3	–
		12 बहल	ए टाईप				57. बबैन	ए टाईप	
3.	फरीदाबाद	13. फरीदाबाद	6	2244953			58. स्थानेश्वर	ए टाईप	–
		14. बल्लभगढ़	12	–	12.	महेन्द्रगढ़	59. महेन्द्रगढ़	6	–
		15. होडल	3	–			60. कनीना	3	–
		16. पलवल	8	252103			61. नारनौल	6	251947
4.	फतेहाबाद	17. फतेहाबाद	6	220617			62. अटेली	3	–
		18. भटटुकलां	3	–	13.	पानीपत	63. पानीपत	11	2638544
		19. टोहाना	3	220036			64. ईसराना	3	–
		20. रतिया	3	–			65. समालखां	3	–
		21. जाखल	3	–	14.	पंचकूला	66. पंचकूला 67. कालका	12	2562200
5.	गुडगांव	22. गुडगांव		2320222	15	रोहतक	68. रोहतक	12	276641
		23. सोहना 24. पटौदी	3 3	–			69. महम	6	–
6.	हिसार	25. हिसार	18	–			70. कलानौर	3	–
		26. बरवाला	3	–	16	रिवाड़ी	71. रिवाड़ी	6	256751
		27. हांसी	13	233485			72. बावल	3	–
		28. उकलाना	3	–			73. धारूहेड़ा	3	–
		29. आदमपुर	6	254081			74. कोसली	3	–
		30.नारनौंद	3						
7.	जीन्द	31. जीन्द	3	–	17	सोनीपत	75. सोनीपत	10	2201101
		32. नरवाना	6	–			76. मूरथल	ए टाईप	2482563
		33. उचाना	3	245370			77 गोहाना	6	252140
		34. जुलाना	3	240104			78. गन्नौर	3	–
		35. सफीदों	3	–	18.	सिरसा	79. सिरसा	6	220866
8.	झज्जर	36. झज्जर	3	–			80. चौटाला	3	–
		37. बेरी	3	265135			81. डबवाली	6	226015
		38. बहादुरगढ़	3	256397			82. ऐलानबाद	3	–
9.	कैथल	39. कैथल	8	–			83. रानिया 84. कालांवाली	3 ए टाईप	–
		40. पुण्डरी	6	210801	19	यमुनानगर	85. यमुनानगर	6	227717
		41. चीका	3	224214			86. जगाधरी	6	241185
		42. पाई	3	–			87. रादौर	3	–
		43. राजौंद 44 ढांढ	3 3	–	20	मेवात	88.फिरोजपुर झिरका	3	220021

				–			89. नूंह 90. हथीन	3 3	

अनुबन्ध 'ख'

मुख्य बस स्टैण्डों का नाम तथा वहां से कौन–2 से मुख्य स्थानों के लिये बस सेवायें उपलब्ध हैं, का विवरण

क्र0 सं	मुख्य बस अड्डे का नाम	जिन–जिन मुख्य स्थानों के लिये बस सेवायें उपलब्ध हैं।
1.	अम्बाला छावनी	यमुनानगर, सहारनपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, चंडीगढ़, शिमला, रामपुर, बैजनाथ, धर्मशाला, हमीरपुर, सुजानपुर, डलहौजी, कुल्लू, मनाली, पटियाला, मलेरकोटला, लुधियाना, कुरुक्षेत्र, अमृतसर, फिरोजपुर, पठानकोट, कटडा, चण्डीगढ़, रोपड़, करनाल, नंगल, होशियार, कपूरथला, दिल्ली, गुडगांव, रिवाड़ी, पानीपत, जयपुर, फरीदाबाद, रोहतक, भिवानी, नारनौल, दिल्ली।
2	अम्बाला शहर	पेहवा, कैथल, जीन्द, भिवानी, नरवाना, फतेहबाद, सिरसा, डबवाली, पटियाला, लुधियाना, चण्डीगढ़, कालका, नारायणगढ़, रैणुका, यमुनानगर, हरिद्वार, मेरठ, दिल्ली, जयपुर, रोहतक।
3	बराड़ा	यमुनानगर, अम्बाला, चण्डीगढ़, शाहबाद।
4	दो सड़का	चण्डीगढ़, यमुनानगर, सहारनपुर, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, पांटा साहब
5	नारायणगढ़	नाहन, रेणुका, पौंटासाहिब, चण्डीगढ, शिमला, अम्बाला, पटियाला, लुधियाना, यमुनानगर, सहारनपुर, हरिद्वार, करनाल, दिल्ली।
6	साहा	यमुनानगर, सहारनपुर, हरिद्वार, ऋषिकेस, देहरादून, चण्डीगढ़, पटियाला, लुधियाना, कटड़ा, अमृतसर।
7	भिवानी	पिलानी,जयपुर, चुरू, झुन्झनू, अजमेर, दिल्ली, मथुरा, अलीगढ़, हरिद्वार, देहरादून, पौटा, रोहतक,हिसार, सिरसा,अम्बाला,पटियाला,चण्डीगढ़।
8	च0दादरी	रोहतक,पानीपत,अम्बाला,चण्डीगढ़,नारनौल,दिल्ली,हिसार,सिरसा,पिलानी,जयपुर, अजमेर,जीन्द, पटियाला
9	.बवानी खेड़ा	हांसी, जीन्द, कैथल, चण्डीगढ,भिवानी, तोशाम ,पिलानी, हिसार, सिरसा, रोहतक, दिल्ली।
10	सिवानी	राजगढ़, चूरू, सीकर, जोधपुर, जयपुर, भिवानी ,लोहारू, रोहतक, दिल्ली, जीन्द कैथल, अम्बाला, चण्डीगढ़।
11	तोशाम	हांसी, हिसार,सिवानी, जीन्द, कैथल, अम्बाला, चण्डीगढ़, भिवानी, रोहतक, दिल्ली।
12	बहल	भिवानी, झुप्पा, हिसार, तोशाम
13	फरीदाबाद	मथुरा, आगरा, ग्वालियर, भरतपुर, बालाजी, अलवर, जयपुर, अलीगढ़, नैनीताल, ऋषिकेश, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, गुडगांवा, यमुनानगर, कैथल, कुरूक्षेत्र, अम्बाला, चण्डीगढ़, शिमला, हमीरपुर, पटियाला, जालन्धर, अमृतसर, पठानकोट, कटरा।
14	बल्लबगढ़	मथूरा, आगरा, ग्वालियर, भरतपुर, बालाजी, अलवर, जयपुर, अलीगढ़, नैनीताल, ऋषिकेश, दिल्ली, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा,गुडगांवा,यमुनानगर,कैथल,कुरूक्षेत्र, अम्बाला, चण्डीगढ़, शिमला, हमीरपुर, पटियाला,जालन्धर,अमृतसर,पठानकोट,कटड़ा।
15	होडल	दिल्ली, अम्बाला, चण्डीगढ़, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर, गुडगांवा, रिवाड़ी, रोहतक, हिसार, सिरसा, आगरा, गोवर्धन, अलीगढ़,भरतपुर
16	पलवल	दिल्ली, अम्बाला, चण्डीगढ़, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर, गुडगांवा, रिवाड़ी, रोहतक,हिसार, सिरसा,आगरा, मथुरा, गोवर्धन, अलीगढ़,भरतपुर।
17	फतेहाबाद	सिरसा, डबवाली, यमुनानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, हिसार, भिवानी, च0दादरी, नारनौल, रोहतक, दिल्ली, मथुरा, जीन्द, पानीपत, पटियाला, संगरूर, लुधियाना, अमृतसर, कटडा, शाहतलाई, कैथल, कुरूक्षेत्र, करनाल, अम्बाला,चण्डीगढ़,यमुनानगर,सहारनपुर,हरिद्वार
18	भटटूकलां	चौपटा, सिरसा, हिसार, कैथल, अम्बाला, चण्डीगढ़, आदमपुर।
19	टोहाना	नरवाना, जीन्द, रोहतक, दिल्ली, जयपुर, पातडा, संगरूर, लुधियाना, पटियाला, जम्मू , कटरा, चण्डीगढ़, शाहतलाई, सिरसा, गंगानगर, हिसार, हांसी, भिवानी, अम्बाला।
20	रतिया	बुडलाडा, फतेहाबाद, हिसार, पटियाला, चंडीगढ़, कालांवाली, सिरसा।

21	जाखल	भूना, रतिया, टोहाना, फतेहाबाद, बुढलाडा, मुनक, पातडा, संगरूर, मलेरकोटला, लुधियाना।
22	गुडगांवा	दिल्ली, अम्बाला, चण्डीगढ़, शिमला, बैजनाथ,कटडा,कपूरथला,अमृतसर,लुधियाना,मोगा,भटिन्डा, ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, अलीगढ़,भतरपुर,अलवर, बाला जी, महाबीरजी, जयपुर, अजमेर, पुष्कर, उदयपुर, जोधपुर, खेतड़ी, एवं हरियाणा के सभी जिला मुख्यालय शहर।
23	सोहना	रिवाड़ी, नारनौल, खेतडी, नूंह, फिरोजपुर झिरका, अलवर, बालाजी, जयपुर, पलवल, होडल, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, गुडगांवा, दिल्ली, अम्बाला, चण्डीगढ़, बल्लभगढ़।
24	पटौदी	रेवाड़ी, गुड़गांवा, सोहना, झज्जर, चण्डीगढ़।
25	हिसार	जयपुर,अजमेर,नौहर,भादरा,बीकानेर,हनुमानगढ़,सुरतगढ़,अनूपगढ़,गंगानगर,जोधपुर,दिल्ली, मथुरा, हरिद्धार, कटडा, अमृतसर,अबहोर,फाजिल्का,भटिन्डा,पटियाला, चण्डीगढ और हरियाणा के सभी जिला शहर (जिला मुख्यालय)
26	बरवाला	नरवाना, कैथल, अम्बाला, चंडीगढ़, कैथल, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर, जीन्द, हिसार, फतेहबाद।
27	हांसी	उपरोक्त सभी स्थानों पर
28	उकलाना	नरवाना कैथल, अम्बाला, चण्डीगढ़, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर, हरिद्वार, हिसार, हांसी, रोहतक, दिल्ली, भिवानी, फतेहबाद, सिरसा, डबवाली, गंगानगर, ऐहलनाबाद, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर।
29	आदमपुर	भादरा, बालसम्बन्ध , हिसार, फतेहबाद, भटटू।
30	नारनौंद	जीन्द, हिसार, हांसी, करनाल, पानीपत, हरिद्वार, चण्डीगढ़, अम्बाला शहर, कैथल, पेहवा इत्यादि।
31	जीन्द	करनाल, यमुनानगर, पौंटासाहिब, पानीपत, हरिद्वार, कैथल, कुरूक्षेत्र, पिहोवा, अम्बाला, चण्डीगढ़, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, कटडा, रोहतक, दिल्ली, जयपुर वाया रोहतक, झज्जर, गुडगांवा, भिवानी, हिसार, सिरसा, गंगानगर, गोहाना, सोनीपत, च0दादरी
32	नरवाना	कैथल,अम्बाला,चण्डीगढ़, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर, हरिद्वार, करनाल, जीन्द, दिल्ली, संगरूर, पटियाला, लुधियाना,अमृतसर, कटडा, खनौरी,हिसार,फतेहबाद,सिरसा, गंगानगर,रोहतक,भिवानी,
33	उचाना	नरवाना, कैथल, जीन्द, रोहतक, दिल्ली, भिवानी, हांसी, पटियाला, संगरूर, बरवाला, उकलाना।
34	जुलाना	रोहतक, भिवानी, दिल्ली,जीन्द, नरवाना, पटियाला, टोहाना।
35	सफीदों	पानीपत, मुज्जफरनगर, हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली, रोहतक, जीन्द, कैथल, हिसार, सिरसा, गंगानगर, करनाल, अम्बाला, चण्डीगढ़,यमुनानगर।
36	झज्जर	दिल्ली,जयपुर, पिलानी, अजमेर, कोटा, अलवर, महाबीर जी, रोहतक, रिवाड़ी, पानीपत,करनाल, चण्डीगढ़, शिमला, रामपुर, धर्मशाला, ऋषिकेश, अलीगढ़, मुरादाबाद, हिसार, फतेहबाद,सिरसा,डबवाली, जीन्द, नरवाना, संगरूर, लुधियाना, फाजिल्का,जालन्धर,पठानकोट
37	बेरी	रोहतक,सांपला, दिल्ली, कोसली, च0दादरी, भिवानी
38	बहादुरगढ़	रोहतक,हिसार,फतेहाबाद,सिरसा,अबहोर,फाजिल्का,अमृतसर,पटियाला,कटड़ा च0दादरी, भिवानी, पिलानी, झुन्झनू, सिरसा, राजगढ़,हनुमानगढ़,गंगानगर,अनूपगढ़, दिल्ली,नैनीताल,लखनऊ,मथुरा, आगरा,ग्वालियर, अलीगढ़, महाबीरजी,जयपुर।
39	कैथल	नरवाना, जीन्द, भिवानी, च0दादरी, रोहतक ,फतियाबाद, सिरसा, डबवाली, गंगानगर, पानीपत, करनाल, दिल्ली, जयपुर, अलवर, शामली, देहरादून, कुरूक्षेत्र,यमुनानगर सहारनपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, खनौरी, संगरूर, पटियाला, जम्मू,कटड़ा,
40	पूण्डरी	करनाल, पानीपत, दिल्ली, जयपुर, अलीगढ़, पेहवा, अम्बाला, चण्डीगढ़, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर, जीन्द, हिसार।
41	चीका	कैथल, करनाल, पानीपत, दिल्ली, पेहवा, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर, पटियाला, चण्डीगढ़, लुधियाना, जालन्धर, जम्मू, कटरा, समाना।
42	पाई	पुण्डरी, कुरूक्षेत्र, राजौंद, असंध, जीन्द, कैथल।
43	राजौन्द	असन्ध, पानीपत, दिल्ली, शामली, कैथल, अम्बाला, चंडीगढ़, जीन्द, नरवाना, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर।
44	ढांढ	करनाल, कुरूक्षेत्र, पेहवा, कैथल, जीन्द, हिसार

45	करनाल	पानीपत, शामली, मुज्जफरनगर, मेरठ, दिल्ली, रोहतक, दादरी, सोनीपत, फरीदाबाद, ग्वालियर, जयपुर, बालाजी, भरतपुर, मथुरा, यमुनानगर, सहारनपुर,देहरादून,हरिद्वार,पौंटासाहिब, अम्बाला, चण्डीगढ़, शिमला,धर्मशाला,बैजनाथ, सुजानपुर, हमीरपुर, लुधियाना,जम्मू,कटड़ा,जालन्धर,अमृतसर,कुरूक्षेत्र,कैथल।
46	घरौण्डा	पानीपत, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, आगरा, शामली, मेरठ, रोहतक, भिवानी, गुडगांवा, फरीदाबाद, गुडगांवा, नारनौल, महेन्द्रगढ़, करनाल, अम्बाला, चण्डीगढ़, शिमला, पटियाला, जालन्धर, अमृतसर, रोपड़, नंगल, कांगडा, धर्मशाला, पठानकोट, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र।
47	इन्द्री	करनाल, पानीपत, दिल्ली, गुडगांव, फरीदाबाद, रोहतक, भिवानी, जीन्द, कुरूक्षेत्र, अम्बाला, चण्डीगढ़, यमुनानगर, हरिद्वार।
48	नीलोखेड़ी	करनाल, पानीपत,दिल्ली,फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, जयपुर, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर, सहारनपुर, हरिद्वार, चण्डीगढ़, शिमला, पटियाला, लुधियाना, जालन्धर, अमृतसर, पठानकोट, रोहतक, नंगल, होशियारपुर, जम्मू, कटडा।
49	तरावडी	करनाल, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, जयपुर, रोहतक, भिवानी, नारनौल, रिवाडी, गुडगांवा, असन्ध, जीन्द, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर, हरिद्वार, देहरादून, अम्बाला, चण्डीगढ़, शिमला, पटियाला, जालन्धर, पठानकोट जम्मू , कटडा, अमृतसर, रोपड़ नंगल, कांगड़ा,धर्मशाला।
50	असन्ध'	जीन्द, हिसार, सिरसा, कैथल, नरवाना, अम्बाला, करनाल, चण्डीगढ़, पानीपत, शामली, दिल्ली।
51	कुरुक्षेत्र	करनाल,पानीपत,दिल्ली,मथुरा,जयपुर,अजमेर,रोहतक,भिवानी,यमुनानगर,हरिद्वार, सहारनपुर, अम्बाला,लुधियाना,जालन्धर,जम्मू,कटडा,पटियाला,चडीगढ़,शिमला,बैजनाथ,मनाली,कैथल,हिसार,सिरसा,चीका,जीन्द,नारायणगढ़
52	कौल	कैथल, कुरूक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, पेहवा।
53	पेहवा	देवीगढ़,पटियाला,अम्बाला,चण्डीगढ़,शिमला,यमुनानगर,हरिद्वार,दिल्ली,गुडगांवा,जयपुर,जीन्द, हिसार,सिरसा,भिवानी,
54	पिपली	पिपली, यमुनानगर, सहारनपुर,हरिद्वार, मेरठ, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, दिल्ली, जयपुर, अजमेर, मथुरा, आगरा, गुडगांवा, रिवाड़ी, झज्जर, नारनौल, कैथल, हिसार, सिरसा, डबवाली, जीन्द, अम्बाला, पटियाला, लुधियााना, जालन्धर, अमृतसर, फिरोजपुर, मोगा, भटिंडा, पठानकोट, चण्डीगढ़, शिमला, होशियारपुर,सुजानपुर, ऊना,नंगल,ज्वालाजी,धर्मशाला,बैजनाथ,कुल्लू मनाली।
55	लाडवा	यमुनानगर, सहारनपुर, देहरादून, हरिद्वार, करनाल, पानीपत, दिल्ली, रोहतक, कुरूक्षेत्र, पेहवा, कैथल, हिसार, सिरसा, अम्बाला, चण्डीगढ़।
56	शाहबाद	करनाल, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, जयपुर, रोहतक, भिवानी, रिवाडी, नारनौल, गुडगांवा, अम्बाला, चण्डीगढ़, शिमला, रोपड, कागंडा, धर्मशाला, पटियाला, लुधियाना, जालन्धर, अमृतसर,पठानकोट, जम्मू, कटड़ा।
57	बबैन	लाड़वा, कुरूक्षेत्र, पेहवा, चण्डीगढ़, करनाल
58	स्थानेश्वर	करनाल, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, जयपुर, अजमेर, यमुनानगर, सहारनपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अम्बाला, चण्डीगढ़, शिमला, लुधियाना, जालन्धर, कटरा, पेहवा, पटियाला, अम्बाला, कैथल, जीन्द, हिसार, सिरसा।
59	महेन्द्रगढ़	दिल्ली, खतेडी, जयपुर, खाटूश्याम, अजमेर, जोधपुर, रोहतक, भिवानी, हिसार, सिरसा, फाजिल्का, पिलानी, झून्झनू, पानीपत, करनाल, अम्बाला, चण्डीगढ़।
60	कनीना	च0दादरी, भिवानी, महेन्द्रगढ़, नारनौल, कोसली, झज्जर, रिवाडी, गुडगांवा, दिल्ली।
61	नरनौल	तिजारा, अलवर, जयपुर, अजमेर,खेतडी, झुन्झनू, बीकानेर, नागौर, सिकर, पाटन, मथुरा, अमृतसर, दिल्ली, चण्डीगढ़, शिमला, रिवाड़ी, गुडगांव, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, पानीपत, अम्बाला,करनाल,भिवानी,चदादरी,जीन्द,हिसार, फतेहबाद, सिरसा।
62	अटेली	बहरोड, बीकानेर, खेतडी, झून्झनू, सीकर, रिवाडी, दिल्ली, जालन्धर, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, गुडगांवा, पानीपत, अम्बाला चण्डीगढ़, सोनीपत, हरिद्वार।
63	पानीपत	शामली, मुज्जफरनगर, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, मेरठ, च0दादरी, नारनौल, बरेली, दिल्ली, गुडगांवा, फरीदाबाद, रिवाड़ी, रोहतक, भिवानी, सोनीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, जयपुर, अजमेर, जीन्द, हिसार, सिरसा, डबवाली, गंगानगर, कैथल, करनाल, अम्बाला, पटियाला, भटिंडा, फिरोजपुर,

		लुधियाना, जालन्धर, अमृतसर, कपूरथला, होशियारपुर जम्मू, कटड़ा, रोपड़, नंगल, ज्वालाजी, धर्मशाला, बैजनाथ, चण्डीगढ़, शिमला, रामपुर,हमीरपुर,सुजानपुर,मनाली।
64	इसराना	पनीपत, करनाल, अम्बाला, चण्डीगढ़, शामली, मुज्जफरनगर, हरिद्वार, देहरादून, रोहतक, भिवानी, रिवाड़ी, नारनौल, जीन्द।
65	समालखां	दिल्ली, मथुरा, आगरा, जयपुर, गुडगांवा, दिल्ली, रिवाड़ी, पानीपत, करनाल, चण्डीगढ़, शिमला, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, जम्मू, कटडा, रोपड, धर्मशाला, यमुनानगर।
66	पंचकूला	उपरोक्त सभी स्थानों के लिये।
67	कालका	शिमला,रामपुर, चायल, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, नालागढ़ रोपड़, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, चण्डीगढ़, दिल्ली, जयपुर, अम्बाला, पौंटासाहिब।
68	रोहतक	दिल्ली, नैनीताल, लखनऊ, मथुरा, आगरा, ग्वालियर,हरिद्धार,महाबीरजी, जयपुर, अजमेर, कोटा,बीकानेर,पिलानी,झुन्झनू, राजगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, करणपुर, लुधियाना, जालन्धर, अमृतसर, कटडा, पटियाला, संगरूर, पौंटासाहिब, फाजिल्का, अबोहर, भटिन्डा, च0दादरी, फिरोजपुर, हरियाणा के सभी जिला मुख्यालय(शहर)
69	महम	रोहतक, दिल्ली, हांसी, हिसार, सिरसा, गंगानगर, फाजिल्का, भिवानी, जीन्द, कैथल, अम्बाला, चण्डीगढ़, गोहाना, पानीपत, चण्डीगढ़।
70	कलानौर	चौटाला, सिरसा, हिसार, रोहतक, दिल्ली, फतेहाबाद, पटियाला, हनुमानगढ़, संगरियां गंगानगर, भटिन्डा।
71	रिवाड़ी	तिजारा, अलवर, जयपुर, अजमेर, पुष्कर, जोधपुर, झुन्झनू, बीकानेर, खेतडी, कोटकासिम, मथुरा, मेरठ, हरिद्धार, ऋषिकेश, दिल्ली, चण्डीगढ़, शिमला, लुधियाना, जालन्धर, अमृतसर, जम्मू, कटडा, झज्जर, रोहतक, जीन्द, हिसार,सिरसा,करनाल,पानीपत,अम्बाला,यमुनानगर,गुडगांव,नारनौल फरीदाबाद।
72	बावल	कोटपुतली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अलवर, गुडगांवा, दिल्ली, रिवाड़ी रोहतक।
73	धारूहेड़ा	कोटपुतली, जयपुर अजमेर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, मथुरा, बान्दीकुई, दिल्ली, अम्बाला, चण्डीगढ़, करनाल, पानीपत, रोहतक, बालाजी ।
74	कोसली	झज्जर, रोहतक, दिल्ली, दादरी, कनीना, रिवाडी।
75	सोनीपत	दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, भरतपुर, अलीगढ़, मेरठ, बृजघाट, अलवर, महाबीरजी, बालाजी, तिजारा, जयपुर, पुष्कर, पानीपत, हरिद्वार, देहरादून, चण्डीगढ़, हमीरपुर, सुजानपुर, शिमला, जालन्धर, ब्यास, अमृतसर, पठानकोट, जम्मू कटड़ा, होशियारपुर।
76	मुरथल	दिल्ली साईड, चण्डीगढ़ साईड, पंजाब साईड।
77	गोहाना	पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, रोहतक, भिवानी, जीन्द, कैथल, अम्बाला, करनाल, चण्डीगढ़, शामली, हरिद्वार।
78	गन्नौर	सोनीपत, दिल्ली, पानीपत, करनाल, गोहाना, रोहतक।
79	सिरसा	संगरिया, हनुमानगढ़, गंगानगर, सुरतगढ़, अनुपगढ़, करणपुर, नौहर, भादरा, चुरू, जयपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, भटिन्डा, अबहोर, फिरोजपुर, फाजिल्का, अमृतसर, तरनतारन, मानसा,संगरूर, पटियाला, चण्डीगढ़,दिल्ली,कटडा,लुधियाना एवं हरियाणा के सभी जिला मुख्यालय शहर
80	चौटाला	सिरसा ,हिसार ,रोहतक, दिल्ली ,फतेहाबाद ,पटियाला ,हनुमानगढ़ संगरिया ,गंगानगर व भंटिडा।
81	डबवाली	हिसार, रोहतक, दिल्ली, फतेहाबाद, कैथल, नरवाना, अम्बाला, चण्डीगढ़, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर, हरिद्वार, करनाल, पानीपत, हनुमानगढ़, गंगानगर ,सूरतगढ़, अनूपगढ़, कर्णपुर, जयपुर, भटीन्डा, अबोहर, फाजिल्का।
82	एलनाबाद	सिरसा, कैथल, अम्बाला, चण्डीगढ़, हिसार, रोहतक, दिल्ली, गंगानगर, हनुमानगढ़।
83	रानियां	सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, अम्बाला, चण्डीगढ़, हिसार, रोहतक, दिल्ली, हनुमानगढ़।
84	कालावाली	डबवाली, सिरसा, चण्डीगढ़, भठिडा, पटियाला।
85	यमुनानगर	यमुनानगर, सहारनपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, पौंटासाहिब, चण्डीगढ़, शिमला, डलहौजी, कुल्लूमनाली, लुधियाना, जालन्धर, ब्यास, अमृतसर, कटडा, पटियाला, मलेरकोटला, करनाल, पानीपत, दिल्ली, गुडगांवा, फरीदाबाद, रोहतक , भिवानी, कुरुक्षेत्र, पेहवा, कैथल,हिसार,सिरसा,गंगानगर
86	जगाधरी	नाहन, पौंटासाहिब, सहारनपुर, देहरादून, मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश, करनाल, पानीपत, दिल्ली, रोहतक, अम्बाला, चण्डीगढ़, शिमला, पटियाला, लुधियाना, दिल्ली, अमृतसर, नंगल, रोपड़ , कांगडा।

87	रादौर	यमुनानगर, सहारनपुर, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मेरठ, मुज्जफनगर, शाहबाद, कुरूक्षेत्र, पेहवा, कैथल, हिसार, सिरसा, करनाल, पानीपत, रोहतक, भिवानी, दिल्ली, जयपुर, दादरी।
88	फिरोजपुर झिरका	फिरोजपुर झिरका गुडगांवा, दिल्ली, चण्डीगढ़, अलवर, बालाजी, जयपुर, होडल, पलवल, नूंह, फरीदाबाद।
89	नूंह	रिवाड़ी अलवर, सोहना, पलवल, गुडगांवा, दिल्ली, फरीदाबाद
90	हथीन	अलवर, जयुपर, बालाजी, गुड़गांवा, दिल्ली, अम्बाला, चण्डीगढ़, पलवल, करनाल, पानीपत, फिरोजपुर, होडल, बल्लभगढ़ इत्यादि।
91	चण्डीगढ़	कालका, शिमला, रामपुर, रोपड़, नंगल, डलहौजी, होशियारपुर, कांगडा, धर्मशाला, बैजनाथ, जम्मू कटरा, शाहतलाई , सुजानपुर, तलवाडा, पटियाला, संगरूर, फिरोजपुर, जालन्धर, अमृतसर, अम्बाला, करनाल, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक, हरिद्वार, ऋषिकेश, मेरठ, देहरादून, दिल्ली, मथुरा, आगरा, जयपुर, सोनीपत, रोहतक, गुडगांवा, भिवानी,च0दादरी, महेन्द्रगढ़, कैथल, जीन्द, सिरसा, कुरूक्षेत्र एवं हरियाणा के सभी जिला मुख्यालय शहर।

<u>अनुबन्ध 'ग'</u>

चालक प्रशिक्षण हेतु शर्तें/नियम

1. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मिडल पास हो।
2. आवेदक के पास हल्के वाहन परिचालन का दो वर्ष पुराना या मध्यम वाहन चलाने का एक वर्ष पुराना अनुज्ञप्ति पत्र हो।
3. आयु सम्बन्धी शर्त मोटर वाहन नियमों के अनुसार होगी।
4. प्रशिक्षण की अवधि 30 दिन की होगी जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को अपने रहने तथा भोजन की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।
5. प्रशिक्षणर्थियों को शुल्क के रूप में 1,000/रूपये मासिक , प्रशिक्षण के लिये अदा करने होगें यदि प्रशिक्षणार्थी एक मास के प्रशिक्षण मे असफल होता है तो एक मास की प्रशिक्षण अवधि और बढ़ाई जायेगी और 1500/ रूपये फीस भी पुनः जमा करवानी होगी।
6. अनुसूचित जाति एवं जन जाति के आवेदकों से यह फीस 500/रूपये ली जाती है।
7. अगर प्रशिक्षणर्थियों के साथ प्रशिक्षण अवधि के दौरान कोई दुर्धटना इत्यादि घट जाती है तो वह स्वंय उसका जिम्मेवार होगा। सरकार पर किसी भी प्रकार का क्लेम आदि नहीं होगा।
8. इसके अतिरिक्त अन्य शर्तें तथा नियम मोटर वाहन अधिनियम 1998 तथा मोटर वाहन नियम–1989 के अधीन होगें।

अनुबन्ध 'घ'

चण्डीगढ से दिल्ली, दिल्ली से चण्डीगढ़, चण्डीगढ़ से शिमला, शिमला से चण्डीगढ, चण्डीगढ़ से जयपुर, जयपुर से चण्डीगढ़, डीलक्स/सेमी0 डीलक्स बसों की समय सारणी व किरायाः–

सैमीडीलैक्स बसें

1.	7–20	चण्डीगढ़ से दिल्ली	261	215–00
2.	9–15	चण्डीगढ़ से दिल्ली	261	215–00
2..	10–00	चण्डीगढ़ से दिल्ली	261	215–00
3.	11–00	चण्डीगढ़ से दिल्ली	261	215.00
4.	11–30	चण्डीगढ़ से दिल्ली	261	215–00
5.	12–15	चण्डीगढ़ से दिल्ली	261	215–00
6.	13.10	चण्डीगढ़ से दिल्ली	261	215.00
7.	14–00	चण्डीगढ़ से दिल्ली	261	215–00
	14–20	चण्डीगढ़ से दिल्ली, गुड़गांवा	301	250–00
7.	15–00	चण्डीगढ़ से दिल्ली, गुड़गांवा	301	250–00
8.	15–20	चण्डीगढ़ से दिल्ली	261	215–00
	16–00	चण्डीगढ़ से जयपुर	547	390–00
9.	16–30	चण्डीगढ़ से दिल्ली	261	215–00
10	18–30	चण्डीगढ़ से दिल्ली	261	215–00
11.	20–30	चण्डीगढ़ से दिल्ली	261	215–00
12.	22–15	चण्डीगढ़ से दिल्ली	261	215–00
13	23–15	चण्डीगढ़ से दिल्ली, गुड़गांवा	301	250–00
14	00–30	चण्डीगढ़ से डोमैस्टिक ऐयर पोर्ट दिल्ली	291	250–00

15	7–40	गुड़गांवा–चण्डीगढ़	301	250–00
16	8–20	डोमैस्टिक ऐयर पोर्ट– दिल्ली से चण्डीगढ़	291	250–00
17	9–05	दिल्ली–चण्डीगढ़	261	215–00
18	10–15	दिल्ली–चण्डीगढ़	261	215–00
19	13–00	दिल्ली–चण्डीगढ़	261	215–00
20	15–15	दिल्ली–चण्डीगढ़	261	215–00
21	16–10	दिल्ली–चण्डीगढ़	261	215–00
22	17–00	दिल्ली–चण्डीगढ़	261	215–00
23	17–30	दिल्ली–चण्डीगढ़	261	215–00
24	18–50	दिल्ली–चण्डीगढ़	261	215–00
25	19–30	दिल्ली–चण्डीगढ़	261	215–00
26	21–15	दिल्ली–चण्डीगढ़	261	215–00
27	22–10	दिल्ली–चण्डीगढ़	261	215–00
28	23–00	दिल्ली–चण्डीगढ़	261	215–00
29	23–30	गुड़गांवा–चण्डीगढ़	301	250–00
30	00–30	जयपुर–चण्डीगढ़	547	390–00
31	1–45	गुड़गांवा–चण्डीगढ़	301	250–00
32	2–40	दिल्ली–चण्डीगढ़	261	215–00

अनुबन्ध 'ड़'

दूरभाष नम्बरों की सूची

मुख्यालय स्तर पर

1. परिवहन आयुक्त, हरियाणा चण्डीगढ़ 0172– 2710371
2. उड़न दस्ता अधिकारी (यातायात)
3. अतिरिक्त राज्य परिवहन आयुक्त(वाणिज्य) हरियाणा चण्डीगढ़ 0172– 2701164
4. अतिरिक्त राज्य परिवहन आयुक्त(प्रशासन) हरियाणा चण्डीगढ़ 0172– 2701257
5. उप परिवहन नियंत्रक (तकनीकी) हरियाणा, चण्डीगढ़ 0172–2713196
6. उप परिवहन नियंत्रक (यो0 एवं विकास) हरियाणा, चण्डीगढ़ 0172–2701451

डिपू स्तर पर

1.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	अम्बाला	0171–2550801
2.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	भिवानी	01664–242134
3.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	चण्डीगढ़	0172 –2655412
4.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	दिल्ली	011–27601152
5.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	फरीदाबाद	0129 –2241464
6.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	फतेहाबाद	01667–220317
7.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	गुडगांवा	0124 –2322391
8.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	हिसार	01662–231028
9.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	जीन्द	01681–245431
10.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	झज्जर	01251–269043
11.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	कुरूक्षेत्र	01744–221921
12.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	करनाल	0184 –2254290
13.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	कैथल	01746–222415
14.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	नारनौल	01282–250803
15.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	पानीपत	0180–2648804
16.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	रोहतक	01262–276640
17.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	रिवाड़ी	01274–253788
18.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	सोनीपत	0130–2242226
19.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	सिरसा	01666–221274
20.	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन	यमुनानगर	01734 –237803
21.	उड़न दस्ता अधिकारी, अ0रा0 बस अड्डा दिल्ली		011– 23868271